राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०)
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ 226010
e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक 1719/241/NULM/तीन/2001(SUSV)-CSVP दिनांक 29/06/2018

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
   जिला नगरीय विकास अभिकरण,
   जनपद– लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, सहारनपुर, झांसी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, फैजाबाद, मथुरा, मुज्फ्फरनगर, मऊ, बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई, अमरोहा, शाहजहाँपुर, सम्भल, जौनपुर, मैनपुरी, एटा, हाथरस, कासगंज, रामपुर, बागपत, शामली, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर– खीरी, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, चन्दौली, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोण्डा, अम्बेडकर नगर, सुलतानपुर एवं देवीरया।

2. नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,
   शहर मिशन प्रबन्धन इकाई,
   शहर– लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, सहारनपुर, झांसी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या–फैजाबाद, मथुरा–वृन्दावन, मुज्फ्फरनगर, मऊ, लोनी (गाजियाबाद), बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई, अमरोहा, शाहजहाँपुर, सम्भल, जौनपुर, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), मैनपुरी, एटा, हाथरस, कासगंज, रामपुर, चन्दौसी (सम्भल), बड़ौत (बागपत), खुर्जा (बुलन्दशहर), मोदीनगर (गाजियाबाद), शामली, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, मुगलसराय (चन्दौली), गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोण्डा, अकबरपुर (अम्बेडकर नगर), सुलतानपुर एवं देवीरया।

विषयः– पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 के नियमों के अनुसार पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कृपया शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों की संरक्षा करने और पथ विक्रय क्रियाकलापों का विनियमन करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक नियमों के लिए भारत सरकार द्वारा पथ विक्रय अधिनियम 2014 अधिसूचित किया गया है। प्रदेश द्वारा उक्त अधिनियम को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन), नियमावली 2017, नगर विकास विभाग अनुभाग–9 के द्वारा दिनांक 10.05.2017 को अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त नियमावली में प्रावधानित किये गये नियमों के अनुसार शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जानी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित कार्य समयबद्ध रुप से किये जाने है, उसका विवरण निम्नवत है:

क्र. सं.	उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली 2017 के नियम	उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अनुसार कार्य/कार्यवाही	कार्य की स्थिति लिखें	अभ्युक्ति
1.	नियम–4	नगर पथ विक्रय समिति का गठन।	*(गठन की तिथि एवं सदस्यों की संख्या लिखें)*	

क्र. सं.	उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली 2017 के नियम	उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अनुसार कार्य / कार्यवाही	कार्य की स्थिति लिखें	अभ्युक्ति
2.	नियम–5	पथ विक्रेताओं के मध्य निर्वाचन की रीति।	*(निर्वाचन की स्थिति हॉ/नहीं सहित निर्वाचन प्रक्रिया संक्षिप्त में लिखें)*	
3.	नियम–10	नगर पथ विक्रय समिति के लिए कार्यालय, स्थल, कर्मचारी वर्ग और सचिव का उपबन्ध किया जाना।	*(नगर निकाय द्वारा TVC को कार्यालय एवं कर्मचारी उपलब्ध कराये गये है या नगर निकाय के परिसर एवं कर्मचारी का ही उपयोग कर रहें लिखें)*	
4.	नियम–6(थ)	नगर पथ विक्रय समिति द्वारा पथ विक्रेता चार्टर प्रकाशित करना।	*(हॉ/नहीं लिखें)*	
5.	नियम–25(1)	पथ विक्रेताओं की शिकायतों का निवारण और विवादों के समाधान हेतु विवाद निवारण समिति का गठन।	*(विवाद निवारण समिति का गठन हॉ/नहीं में तिथि सहित लिखें)*	
6.	नियम–15	विक्रय परिक्षेत्रों (वेडिंग/नो वेडिंग जोन) का चिन्हांकन	*(वेडिंग/नो वेडिंग जोन का चिन्हांकन हॉ/नहीं सहित वेडिंग एवं नो वेडिंग जोन की संख्या लिखें)*	
7.	नियम–12	पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण	*(सर्वेक्षण की स्थिति हॉ/नहीं में लिखें, यदि हॉ तो संख्या लिखें)*	
8.	नियम–13	पथ विक्रेताओं का पंजीकरण (प्रपत्र–2)	*(पंजीकरण की स्थिति हॉ/नहीं लिखें, यदि हॉ तो संख्या लिखें)*	
9.	नियम–14	पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना (प्रपत्र–3)	*(पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी होने की स्थिति हॉ/नहीं में लिखें, यदि हॉ तो संख्या लिखें)*	
10.	नियम–22	पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र (आई कार्ड) जारी करना (सूडा के पत्रांक–1134/241/NULM@Teen@2001(SUSV-CSVP) दिनांक 05.06.2018 द्वारा जारी पत्र में संलग्न शासन से अनुमोदित पहचान पत्र के प्रारुप पर)	*(पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी होने की स्थिति हॉ/नहीं में लिखें, यदि हॉ तो संख्या लिखें)*	
11.	नियम–6(छ)	पथ विक्रेता योजना (प्लान) तैयार किया जाना	*(शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार कर SUDA को उपलब्ध कराये जाने की तिथि लिखें)*	

उपरोक्त सभी कार्य भारत सरकार के पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अनुसार उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अन्तर्गत किये जाने है। जिसके संबंध में शासन स्तर से पत्रांक–789/नौ–9–2017–170ज./06टी0सी0ए दिनांक 21.08.2018, पत्रांक–1000/नौ–9–2017–170ज/06टी0सी0ए दिनांक 07.12.2018, पत्रांक–सी0एम0–14/नौ–9–2017–170ज/06टी0सी0ए दिनांक 18.12.2018

एवं पत्रांक–1377/नौ–9–2017–170ज/06टी0सी0, दिनांक 27.12.2018 द्वारा उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली 2017 के प्रावधानों के अनुसार समयबद्ध तरीके से कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रेषित किये गये है

शहरी पथ विक्रेताओं को अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार सहायता उपलब्ध कराया जाना सरकार के प्राथमिकता कार्यक्रमों में शामिल है, जिसका निरन्तर उच्च स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है। साथ ही साथ भारत सरकार स्तर पर भी नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है एवं निरन्तर भारत सरकार को प्रगति आख्या प्रेषित की जाती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सारिणी में दिये गये कार्यों की अद्यतन प्रगति (पृथक–पृथक नगर निकायवार) एक सप्ताह के अन्दर ई–मेल के द्वारा susvnulmup@gmail.com पर उपलब्ध कराने के साथ ही साथ यदि उपरोक्त के संबंध में अभी भी कार्यवाही अपूर्ण है तो उपरोक्त सभी कार्यों को नियमावली के अनुरुप प्रत्येक दशा में 01 माह के अन्दर पूर्ण कराते हुए सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 वी0के0 सिंह)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 को इस आशय से कि समस्त नगर निकायों को अपने स्तर से निर्देशित करने का भी कष्ट करें।
3. संबंधित शहरों के अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद उ0प्र0।
4. संबंधित शहरों के परियोजना अधिकारी, डूडा उ0प्र0।
5. संबंधित एजेन्सियाँ।
6. सहायक वेबमास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

28/06/2018

(डा0 वी0के0 सिंह)
अपर निदेशक